फर्द अहकाम

मंगल बनाम शंकर वगै0

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या.......13/2019 T/ग्राम्य

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	29.03.2019	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री विनय कुमार जैन एडवाकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी पेश किया। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी को सुनने पर मामला प्रथम दृष्टया अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का होना जाहिर किया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 48 के खसरा नम्बर 44 रकबा 46 बीघा 19 बिस्वा, खतोनी संख्या 49 के ख0नं0 7, 9, 11 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा, खतोनी संख्या 50 के ख0नं0 5, 6, 8, 10, 12 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खतौनी संख्या 51 के ख0नं. 1, 2, 3, 4 कुल किता 4 कुल रकबा 32 बीघा 09 बिस्वा, खतौनी संख्या 154 के ख0नं0 621, 622, 623, 624, 625, 628, कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा, खतौनी संख्या 224 के ख0नं. 52 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा, खतौनी संख्या 225 के ख0नं0 69, 70, 71, 72, 365, 366, 367 कुल किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा, खतौनी संख्या 226 के ख0नं0 54, 55, 56, 57, 58, 59 कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बासडी जोगियान तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 30.04.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	
	30/4/19	पत्रावली पेश। प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। वादी/प्रार्थी ने मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश किया है। आज P.O. सा० लोकसभा आम चुनाव में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/5/19 को पेश हो।	मंगला राममीणा LTI 30.4.19
	14/5/19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र T.I. को नोट प्रेस करने आगे नहीं चलाने का निवेदन किया है। अतः वकील का निवेदन के आधार प्रार्थी के नोट प्रेस के [illegible] T.I.	Not Press